UPGK010045942026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०–02 /विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1960/2026

इरफान उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0 छुट्टन खान उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मोहनलालपुर थाना तिवारीपुर, जनपद–गोरखपुर, हाल मुकाम मु0 नासिर का मकान मो0 रसूलपुर चौराहा निकट मस्जिद थाना गोरखनाथ गोरखपुर तथा सबलू का मकान जोगी टोला थाना तिवारीपुर जनपद–गोरखपुर।

––––आवेदक/अभियुक्त

––बनाम––

उत्तर प्रदेश सरकार– –––––विपक्षी

मु०अ०सं०–149/2026,
धारा– 2(ख)(i),2(ख)(xi) व 3(1)उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986,
थाना–पिपराईच, गोरखपुर।

दिनांक–05.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त इरफान उर्फ मुन्ना की ओर से मु०अ०सं०–149/2026, धारा– 2(ख)(i),2(ख)(xi) व 3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना पिपराईच, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है तथा शपथकर्ता मो0 फरदीन खान द्वारा शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के अनुसार यह कहा गया है कि गैंग लीडर इरफान उर्फ मुन्ना का एक सक्रिय, संगठित तथा अभ्यस्त गैंग है, जिसके सदस्य 1. शमशेर उर्फ मामा 2. अयाज अहमद उर्फ बाबू इस गैंग के सक्रिय सदस्य है। यह गैंग अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक अनुचित दुनियाबी लाभ के लिए बी0एन0एस0 के अध्याय 17 में वर्णित अपराधों को करने के अभ्यस्त अपराधी है। इस गैंग के भय एवं आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इनके कृत्यों की सूचना थाने पर देने अथवा माननीय न्यायालय में गवाही देने का साहस नहीं कर पाते है। सामान्य जनता इनके कृत्यों के कारण भयभीत रहती है। यह गैंग थाना क्षेत्र अथवा आसपास के थानों में नकबजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यह गैंग जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। अभियुक्त इरफान उर्फ मुन्ना अपने साथी 1. शमशेर उर्फ मामा 2. अयाज अहमद उर्फ बाबू उपरोक्त के साथ मिलकर जनता के लोगों से नकबजनी जैसी जघन्य अपराध करने का संगठित गिरोह बना लिया है। दिनांक 01.08.2025 अज्ञात चोर द्वारा दिन मे वादी के घर के जंगला तोड़कर कमरे में से गहने (दो हार सोने के चैन 4 सोने के 12 अंगूठी सोने की और 50 हजार कैश ले जाने के सम्बन्ध मे वादी मुकदमा विनय कुमार उपाध्याय के द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–587/2025 धारा 331(3)/305 बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना की गयी विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. इरफान उर्फ मुन्ना 2. शमशेर उर्फ मामा 3. अयाज अहमद उर्फ बाबू के पास से दिनांक 11.08.2025 को 06 अदद अंगूठी पीली धातु की

लेडिज, 05 अदद अंगूठी पीली धातु पुरुष, 02 अदद हार पीली धातु, 02 अदद चैन पीली धातु, 01 अदट् ओम लाकेट पीली धातु, 07 जोडी एक नग पायल सफेद धातु व 06 जोडी बिछिया सफेद धातु, एक अदद स्कूटी न0– GJ05PC8328 बरामद हुई विवेचना के उपरान्त उक्त अभियोग में 1 इरफान उर्फ मुन्ना पुत्र 2. शमशेर शमशेर उर्फ उर्फ मामा के विरुध आरोप पत्र धारा 331 (3),305 BNS व बढोत्तरी धारा 317(2),317(4),347(1) BNS व अभियुक्त अयाज अहमद उर्फ बाबू के विरुध आरोप पत्र धारा 331(3)/305 BNS व बढोत्तरी धारा 317(2) BNS में आरोप पत्र दिनांक 13.09.2025 को किता कर मा० न्यायालय प्रेषित किया जा चुका हैं। अभियुक्तगणो इस गैंग के आपराधिक क्रिया–कलाप के कारण सामान्य जन में भय व्याप्त है, सामान्य जनता इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं कर पाते हैं।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, अभियोजन द्वारा लगाया गया अभियोग असत्य एवं निराधार है। आवेदक/अभियुक्त को मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से उपरोक्त मुकदमे में फर्जी ढंग से अभियुक्त गबना दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त का न तो कोई गिरोह है और न ही आवेदक/अभियुक्त किसी भी गिरोह का कोई सदस्य है और न ही किसी गैंग का लीडर है। आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ थाना पिपराईच में अपराध सं0–587/2025 अंतर्गत धारा 331(3),305 बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया, जिसमें आवेदक/अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को उक्त मुकदमे में फर्जी ढंग से फंसाया गया है, जिसमें आवेदक/अभियुक्त जमानत पर है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–19.04.2026 से जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है। उक्त कथनों का उल्लेख करते हुए जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त/आवेदक का एक सक्रिय संगठित गैंग है तथा अभियुक्त अपनी गैंग का गैंग लीडर है, जो अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नकबजनी जैसी गम्भीर अपराध कारित किए हैं। समाज में आये दिन इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे है, इनको रोकना अति–आवश्यक है, जिससे समाज की दशा व दिशा एक उन्नत पथ पर अग्रसर हो। इस प्रकार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है, जो अभियुक्त के आपराधिक प्रवृत्ति व चरित्र को दर्शाता है।

आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी के विद्वतापूर्ण तर्को की विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त के विरुद्ध अपने व अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ भौतिक व आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नकबजनी करने जैसे जघन्य अपराध करने का आरोप है। यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त का समाज में भय व आतंक व्याप्त है। जैसा कि उक्त संदर्भित अधिनियम की धारा–19(4)(बी) के संदर्भ में इस स्तर पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत अपराध कारित नहीं किया गया है तथा न ही पत्रावली पर इस आशय का कोई साक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पर यह उपधारित किया जा सके कि वह भविष्य में कोई अपराध कारित नहीं करेगा तथा सहअभियुक्त शमशेर उर्फ मामा की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अभियुक्त इरफान उर्फ मुन्ना का 14 मुकदमों का आपराधिक इतिहास वर्णित होने के कारण अभियुक्त इरफान उर्फ मुन्ना का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदक द्वारा कारित अपराध, अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि व उ०प्र०

गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के समस्त तथ्य व परिस्थतियों पर विचार करते हुए एवं गुण–दोष पर विचार किये बिना उसे जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त इरफान उर्फ मुन्ना की ओर से मु०अ०सं०–149/2026, धारा–2(ख)(i), 2(ख)(xi) व 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना पिपराईच, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(चन्द्र मणि मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)
कोर्ट सं०–02 गोरखपुर।
I.D.No. : UP6250

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.06.05 16:12:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court